


अज अदालत न्यायालय उपखण्ड शिवपुरी मुकाम बनेडा  
 काना गुर्जर बनाम इगरी गुर्जर  
 किस्म मुकदमा राजस्व काद नं. 52 सन 2011


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7-2-17	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे में पधारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली साबिक आदेश में दिनांक 15-3-17 को पेश हो।</p> <p>आदेश                        रीडर                      सब डिविजन ऑफिसर,                      बनेडा</p> <p>15-3-17 - पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमरपुत्रा उपाय अधिवक्ता प्रति. इम 3 द्वारा प्रस्तुत किये जवाब दावा आज पुनः असमर्थता व्यक्त की। दुबकी पूर्व आदेशिका पर प्रस्तुति जवाब हेतु कनिष्ठ अधिवक्ता देना वर्गित है, लिहाजा प्रति इम 3 का प्रस्तुति जवाब दावा बन्द किया जाता है। कांड़ी द्वारा विपक्षी प के समर्थन मय लखाना प्रस्तुत बिये गये। तामील जारी है। पत्रावली कादले ब्राह्मण कादी के दि. 25/3/17 को पेश है।</p>	
7-6-17	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिवपुरी मुकाम ब्राह्मण कला में पेश हुई। वकील कादी अनुवा विपक्षी इम 3 द्वारा शिवपुरी में उपस्थित</p>	

A-9AA  
तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम  
अह  
हुक  
म

होकर एक प्रापत्र प्रस्तुत कर काही  
माना पिता हरलाल का 10 वर्ष पूर्व  
मौत हो जाने से न्यायालय को शवगत  
कराया। किन्तु नवाही मृतक माना के  
कायम मुकाम कब तक रिकार्डि था  
नहीं है। ऐसी स्थिति में वादपत्र  
चलने योग्य प्रतीत नहीं होगा है।  
कानूनी का वादपत्र अन्याय  
द्वारा 0-22, R-3 CPC की रू  
अनुपालना में शर्जि क्रिये जाने के  
आदेश पारित क्रिये जाते हैं।  
पठवती नंबर से क्रम की जात्र  
फंशल शुमार है।



2